

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
--------	--------------------------------------	--

२५/१४ इन्वॉयसी की को न पाली काज को हुं।  
 लखनऊ में न पाली काज को हुं।  
 लखनऊ में न पाली काज को हुं।  
 दिनांक १९/६/१४ को को हुं।

No of १२/१४  
 १२/१४

१३<sup>०६</sup>/१४ पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत परीक्षणः  
 न्याय आयोग द्वारा - २०१९ के तहत कैम्प स्थल  
 अदालत सेवा केंद्र नीमडा में पेश हुई। वादी तथा  
 प्रतिवादी नं. १ की ओर से राजीनामा पेश हुआ  
 वादी की पहचान श्री रामेश्वर लाल तैरवाल एड.  
 ने की तथा प्रतिवादी नं. १ की पहचान श्री लखनवा  
 लाल, जोगपुर एड. ने की। उपस्थित पत्रकारों को  
 राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझ  
 कर उपस्थित पत्रकारों द्वारा लही हेना स्वीकार  
 किया गया। अतः हल्का (व्यवहार) पत्रकारों राजीनामा  
 का दस्तावेज शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रकारों की  
 उपस्थिति द्वारा पूर्व में प्रेषित डा. पर पत्रों की एकपक्षीय कार्यवाही पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जारी  
 करते व श्री लखनवा को किया गया। उपस्थित राजीनामा  
 दावा डीकी फरमाया जाने का निवेदन किया  
 जिल पर अधिष्ठाता तहसीलदार खण्डेला ने कोई  
 आपत्ति जारी नहीं की।

१२/१४  
 १२/१४  
 १२/१४  
 १२/१४

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रोक,  
 पेशवादा राजीनामा का अवलोकन किया गया  
 जिनके अवलोकन से वादी का दावा स्वीकार  
 किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार  
 किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:-

उपदेश

तत्त ग्राम नीमडा तहसील खण्डेला जिला सीकर  
 राज. में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. ७१९, ७२२,



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर  
अदालत  
हुकम  
में

732 गा 734 एका 2.79 है. में उत्तरी सं. 1  
 के नाम पर हिस्सा 1/6 से उत्तरी सं. 1 का  
 नाम हजफ किया जाना की उक्त भूमि  
 हिस्सा का खतियार कमतका घोषित किया  
 जाता है। उक्तनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल  
 दस्तद है। तदनुसार फर्च डिक्री जारी है।  
 पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम  
 है तथा बाद तकमील दखिल दफ्तर है।  
 निर्णय मजमें आम सुनाया गया



19/6/18  
 न्यायिक शाखा  
 (RAS)  
 न्यायिक अधिकारी  
 (फास्ट ट्रैक) मुंबई

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठारीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

रामेश्वरलाल\* बनाम ① लक्ष्मीबा\* \*

दावा बाबत उद्घोषणा, ल्याई निवेद्याता

मुकदमा नम्बर :- 188/2014

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वारंते इनफिरसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

गिनजानिव मुददई रुबरु श्री रामेश्वर लाल तैतवाल

गिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तत ग्राम लीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज में अवस्थित कृषि  
श्री ज. नं. 719, 722, 732 ता 734 कब्जा 8.79 हे. में जतिवासी सं. 1  
के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 से जतिवासी सं. 1 का नाम हतफ किया जाना जारी  
को उक्त शरी हिस्सा का खतदा कारतकार घोषित किया जाता है।  
उक्तानुसार पत्ररु रिकॉर्ड में जमल दामद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

✽ पुत्र महारैव जाति जाट निवासी नीमडा तहसील उण्डेला  
जिला सीकर राज०)

—वादी

व्यताम



✽ दत्तक पुत्र बीजा जाति जाट निवासी नीमडा तहसील  
उण्डेला जिला सीकर राज०।

② भूमिधारी तहसीलया उण्डेला जिला सीकर राज०

—प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण शा.  
(R/S)  
नवायक कलेक्टर  
(सास्ट ड्रैफ्ट) उण्डेला